टेंडर नोटिस

संख्या डी-26017/1/2018-सा.प्रशा

भारत सरकार

विज्ञान औरप्रौद्योगिकी मंत्रालय

भागन विवैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धा

-----

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

टैक्नोलॉजी भवन,नया मेहरोली रोड ,
नई दिल्ली,110016-
दिनांक: जुलाई , 2018

**विषय: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) में सरकारी प्रयोग के लिए मासिक पैकेज आधार पर आटो रिक्शा किराए पर लेने के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए निविदा।**

------

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), भारत सरकार, नई दिल्ली, विभाग में सरकारी प्रयोग हेतु डाक/पैकेट/रिपोर्ट इत्यादि की सुपुर्दगी/ एकत्रण इत्यादि कार्यों के लिए चालक (डिस्पैच राइडर) सहित ऑटो रिक्शा मासिक पैकेज अनुबंध आधार पर किराए पर लेने के लिए बोलियां आमंत्रित करता है। आरंभ में यह अनुबंध दो वर्षों के लिए होगा जिसे विभाग तथा सेवा प्रदाता की परस्परिक सहमति से तथा उन्ही दरों, नियम एवं शर्तों पर प्रत्येक वर्ष तथा अधिकतम दो वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। पैकेज(पैकेजों) की दरों को निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा में भरा जाना है। ऑटो रिक्शा को किराए पर लेने की नियम एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

1. ऑटो रिक्शा की सेवाओं की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) में डाक, फाइलें, रिपोर्ट इत्यादि की सपुर्दगी एवं एकत्रण कार्य करने जैसे सरकारी प्रयोग के लिए आवश्यकता है। विभाग का मुख्य सचिवालय टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली है।
2. चालक को यातायात विनियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए साथ ही साथ दिल्ली शहर के सड़क मार्गों और दिल्ली में विभिन्न कार्यालयों की अवस्थिति की पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि उसे विभाग की डाक/पैकेट्स/फाईल इत्यादि की सुपुर्देगी/एकत्र करना होता है।
3. केवल वही व्यक्ति कोटेशन भर सकता/सकती है जिसके स्वयं के नाम पर ऑटो रिक्शा हो और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। मालिक/चालक के पास सभी अनिवार्य दस्तावेज (पंजीकरण, बीमा दस्तावेज, पीयूसी सर्टिफिकेट इत्यादि) अनिवार्यत: होने चाहिए। चालक के पास ड्यूटी के दौरान अपना मोबाइल फोन होना चाहिए।
4. ऑटो रिक्शा उत्तम कार्यरत हालत में होना चाहिए।
5. ऑटो रिक्शा के मालिक को समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऑटो रिक्शा से संबंधित कानूनों एवं नियमों का अनुपालन करना होगा। विभाग अनुबंध के दौरान तथा उसकी समाप्ति पर ऑटो रिक्शा मालिक द्वारा की गई किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
6. ऑटो रिक्शा के मालिक को प्रात: 9.00 बजे ड्यूटी के लिए टेक्नोलाजी भवन में रिपोर्ट करना होगा। कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 9.00 बजे से लेकर अपराहन 6.00 बजे तक होता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे अतिरिक्त समय में भी कार्य करना होगा। डाक का निर्गम/एकत्रण दिन मेँ दो बार, अर्थात प्रातः 10.30 बजे एवं अपराहन 2.30 बजे, अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान वह अपने पास रखी हुई डाक, दस्तावेजों, फाइलों, पैकेट इत्यादि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा और दस्तावेजों/पत्रों को प्रेषिती तक पहुंचा कर उनकी पावती लेनी होगी। एक दिन की दूरी एवं समय की गणना पहले ड्यूटी पांइट से लेकर आखिरी ड्यूटी पाइंट तक के हिसाब से की जाएगी। कोई रात्रि प्रभार नहीं दिया जाएगा।
7. ऑटो रिक्शा चालक को एक लॉग बुक दी जाएगी। ड्राईवर उसके द्वारा निष्पादित की गई यात्रा की तिथि-वार प्रविष्टी करेगा और उस दिन की ड्यूटी समाप्त हो जाने पर उसपर केंद्रीय रजिस्ट्री अनुभाग प्रभारी अथवा संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर करवाएगा। लॉगबुक को प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन अनुभाग अधिकारी (सामान्य प्रशा0) को पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।

8. ऑटो रिक्शा का बिल महीना पूरा हो जाने पर प्रस्तुत करना होगा। भुगतान की अदायगी मासिक आधार पर की जाएगी।

9. किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा।

10. ऑटो रिक्शा ड्राईवर को अपनी अनुपस्थिति/अवकाश के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। यदि किसी दिन बिना पूर्वानुमति लिए एवं वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो डीएसआईआर उस अवधि के लिए टैक्सी/आटो रिक्शा को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किराए पर लेगा और उस पर होने वाले व्यय को ऑटो रिक्शा के मासिक बिल से वसूला जाएगा।

11. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग मंत्रालय में ड्यूटी निष्पादन के दौरान होने वाले किसी प्रकार के अनिष्ठ/दुंघटना के कारण वाहन(नों) को होने वाले नुकसार/चालक(कों) को लगने वाली चोटों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सभी प्रकार के वैधानिक अथवा वित्तीय देयताएं , वाहन के मालिक को ही वहन करनी होंगी ।

12. अनुबंध अवधि के दौरान अनुमोदित दरों में परिवर्तन नही किया जाएगा।

13. कोटेशन के साथ 1000/- (मात्र एक हजार रूपए) की धरोहर जमा राशि के तौर पर डीडीओ, डीएसआईआर, नई दिल्ली के पक्ष मेँ देय डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। धरोहर जमा राशि सफल बोलीकर्ता(ओं) की चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जाएगी।

14. सफल बोलीकर्ता को 15000/-रू0 (मात्र पन्द्रह हजार रूपए) **'निष्पादन सुरक्षा प्रतिभूति'** के रूप में डीडीओ, डीएसआईआर, नई दिल्ली के पक्ष मे देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा **आवधिक जमा** के रूप में जमा करनी होगी। **''निष्पादन सुरक्षा प्रतिभूति'** अनुबंध अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद 60 दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी।

15. यदि ऑटो रिक्शा ड्राईवर की सेवाएं असंतोषप्रद पाई जाती हैं तो डीएसआईआर के पास अनुबंध को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

16 कोटेशन को संलग्न प्रारूप में (अनुबंध के साथ) एक सील बंद लिफाफे में बन्द कर उसके ऊपर **'किराए पर ऑटो लेने के लिए कोटेशन'** लिख कर उसे अवर सचिव (प्रशा0), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110016 के नाम प्रेषित करना होगा। मोहरबंद कोटेशन को डीएसआईआर, टेक्नोलॉजी भवन के स्वागत कक्ष के समीप रखे गए टेंडर बाक्स में डाला जा सकता है अथवा इसे डाक/कुरियर के माध्यम से भेजा जा सकता है ताकि यह अधोहस्ताक्षरी के पास निर्धारित तारीख अर्थात, **19.07.2018** को **अपराहन 5.00 बजे** तक पहुंच जाय। फैक्स अथवा ई-मेल द्वारा भेजे गए टेंडरों पर विचार नही किया जाएगा। निर्धारित तारीख एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशनों को अगले दिन **10.00 बजे (प्रातः)** को टेक्नोलॉजी भवन, डीएसआईआर में खोला जाएगा। डीएसआईआर को यह अधिकार है कि वह किसी भी अथवा सभी कोटेशनों को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकता है।

भवदीय

संलग्नः-अनुबंध I

कुलदीप कुमार 2/7/18

(कुलदीप कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
☎ 26528672

सेवा में ,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग।

अनुबंध- I

## ऑटो रिक्शा को किराए पर लेने के लिए दरों को दर्शाने वाला प्रारूप

| | |
|---|---|
| मालिक का नाम | |
| पूरा पता एवं टेलीफोन/मोबाइल संख्या | |
| पैन संख्या | |
| वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर सी) | |
| इन्श्योरेंस की वैधता | |
| परमिट की वैधता | |
| अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो | |

### प्रतिमाह पैकेज की दरें

| सेवा का विवरण | राशि रू0 में |
|---|---|
| प्रतिमाह 1650 कि.मी. एवं 270 घंटे के लिए पैकेज की दर | |
| 1650 कि.मी. एवं 270 घंटों के बाद अतिरिक्त किलोमीटर एवं अतिरिक्त घंटे की दरें | |